स्पीड पोस्ट

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांकः 17/12/2019

File No. KC/8/2019/STGCG/DEOTH/RU-III

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़ शासन,
पुलिस मुख्यालय, रायपुर,
छत्तीसगढ़ – 492001

विषयः **झुठे केस में फसाने के संबंध में श्री केशव चौहान, भुटगाँव, तहसील व थाना – फरसाबहार, जिला – जशपुर, (छत्तीसगढ़) का दिनांक 18–10–2019 का अभ्यावेदन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय नई दिल्ली मे दिनांक 13.11.2019 को हुई बैठक का कार्यवृत ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 13.11.2019 को 03.30 बजे डॉ. नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को एक माह (30 दिनों) के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,
18/12/19
(डा. ललित लट्टा)
निदेशक

प्रतिलिपि पेषित सूचनार्थः

1. श्री केशव चौहान,
   भुटगाँव, तहसील व थाना – फरसाबहार,
   जिला – जशपुर,
   (छत्तीसगढ़)
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, एन.सी.एस.टी ।
3. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- KC/8/2019/STGCG/DEOTH/RU-III)

श्री केशव चौहान व अन्य, ग्राम- खुटगांव, तहसील व थाना - फरसाबहार, जिला- जशपुर, छत्तीसगढ़ के पुलिस द्वारा मारपीट के झूठे मामले में फंसाने और जातिगत आधार पर प्रताड़ित करने के अभ्यावेदन के विषय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 13.11.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 13.11.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री केशव चौहान व अन्य, ग्राम- खुटगांव, तहसील व थाना- फरसाबहार, जिला जशपुर ने दिनांक 18.10.2019 को पुलिस द्वारा मारपीट के झूठे मामले में फंसाने और जातिगत आधार पर प्रताड़ित करने के विषय में आवेदन दिया था जिस पर आयोग में दिनांक 13.11.2019 को 3.30 बजे बैठक आहूत की गई। दिनांक 25.10.2019 को पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन को बैठक की नोटिस जारी किया गया।
2. दिनांक 13.11.2019 को आहूत बैठक में पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ की ओर से के.सी अग्रवाल, आईजी (सरगुजा रेंज) उपस्थित हुए।
3. आयोग द्वारा अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया, उन्होंने बताया कि दिनांक 03.10.2019 को अमित वर्मा और पूरन वर्मा द्वारा पिरथू के साथ मारपीट की गई। इसके बाद समाज की पंचायत हुई। इसके बाद फिर से 10.10.2019 को दुबारा उन लोगों के द्वारा पिरथू के साथ बुरी तरह से मारपीट कर सड़क पर फेक दिया गया था जिसके बाद पिरथू को वहां से उठाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिनांक 14.10.2019 को फरसाबहार थाना के कर्मियों द्वारा बयान लिया गया। दिनांक 15.10.2019 को आरोपी पूरन वर्मा उनके पास आया था, समझौता करने के लिए। फरसाबहार थाने द्वारा दिनांक 15.10.2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस द्वारा पिरथू पर और जो लोग उसकी मदद किए उन पर ही प्राथमिकी दर्ज की गई है जबकि मारपीट अमित वर्मा और पूरन वर्मा के द्वारा की गई थी।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4. छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से उपस्थित आईजी (सरगुजा रेंज) ने बताया कि दिनांक 02.10.2019 को लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। दोनों पक्षों में किसी के द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। इसके बाद पुनः 10.10.2019 को मारपीट की घटना हुई थी जिसके बाद पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई। पूछताछ में पूरन वर्मा द्वारा बताया गया कि पहले पिरथू द्वारा लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई थी। दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। इसके बाद अमित वर्मा और पूरन वर्मा द्वारा पिरथू पर छेड़छाड़ करने और संजय निकुंज और मदन चौहान पर उकसाने का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कर रही है।

5. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसा की -

- पुलिस द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों पर दर्ज की गई प्राथमिकी को वापस लिया जाना चाहिए और मारपीट के आरोपी अमित वर्मा और पूरन वर्मा पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आरोपियों के विरूद्ध अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) की सुसंगत धाराएं लगाई जाएं।
- पुलिस पूरे मामले की निष्पक्षतापूर्वक जांच कर आयोग को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात की गई कार्रवाई से 1 माह के अंदर आयोग को अवगत कराया जाए ।

12.12.19

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- KC/8/2019/STGCG/DEOTH/RU-III)

श्री केशव चौहान व अन्य, ग्राम- खुटगांव, तहसील व थाना - फरसाबहार, जिला- जशपुर, छत्तीसगढ़ के पुलिस द्वारा मारपीट के झूठे मामले में फंसाने और जातिगत आधार पर प्रताड़ित करने के अभ्यावेदन के विषय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 13.11.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची :-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

(1.) श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष महोदय
(2.) श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य
(3.) श्रीमती माया चिंतामण इवनाते, माननीय सदस्य
(4.) श्री के तऊथंग, संयुक्त सचिव
(5.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक
(6.) श्री आर. के. दुबे, स. निदेशक
(7.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक

- **छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी**

(1.) श्री के.सी अग्रवाल, आईजी, सरगुजा रेंज

- **अभ्यावेदक**

(1.) श्री केशव चौहान